तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	03-01-2023 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित हैं। वकुलाम की पुन: बहस सुनी गई। इस पत्रावली से संबंधित मुतदावा में वारिमिक निर्णय किया जाकर प्राथमिक पर्याप्त डिग्री जारी हो चुकी है इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27-07-2021 vacate किये जाने योग्य पाये जाने की स्थिति में निरस्त (vacate) की जाती है। विस्तृत निर्णय टंकक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा रजिस्टर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल संलग्न मुतदावा रहे सुनाया गया।
	उपखण्डाधिकारी मु...) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
169/2021	27.07.2021	03.01.2023

//उनवान//

1 अशोक कुमार
2 अनिल कुमार पुत्रान निहाल सिंह जाति जाटान निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रार्थीगण

बनाम

1. बलबीर पुत्र सुखराम
2. रेशमी देवी पत्नी लखमीचन्द
3. पूर्णमल पुत्र घीसाराम जातियान जाट निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
4. राजेश
5. मनोज कुमार पुत्रान सूरजभान जातियान जाट निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर , राज0
6. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, अलवर , राजस्थान
7. श्रीमान उप पंजियक महोदय , मुण्डावर, अलवर ,

:– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र –धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितिः– श्री अशोक चौधरी प्रथम – वकील प्रार्थीगण
श्री अरूण पंडित – वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 03.01.2023

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ल0 5 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ल0 3 के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है तथा अप्रार्थी सं0 4 व 5 ने आराजी खरीद की है जिनके नाम बैयनामा का इन्तकाल दर्ज नहीं होने के कारण विक्रेता के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है तथा क्रेता अप्रार्थी जबरन रास्ता के साथ वाली आराजी पर कब्जा करके निर्माण करने की जुस्तजु में है तथा मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ल0 5 आराजी पर अपने–अपने हिस्सेनुसार सामलात में काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा आज दिन तक किसी भी प्रकार लिखित व मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है तथा वे सामलाती इन्द्राज का बैजा फायदा उठाकर रास्ते के साथ लगती हुई आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने की जुस्तजु में है इस कारण सुविधा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस बहक मिन प्रार्थीगण आयद व साबित है यदि वाकई अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर रास्ता के साथ लगती हुई पर जबरन निर्माण कार्य कर

लिया और प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। चूंकि मिन प्रार्थीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है आदि–आदि अंकित करते हुये अप्रार्थीगण को ताफैसल दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने व मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन रहा। ठीक इसी प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण सं0 1, 4, 5 की ओर से वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जिसका सारतः रहा कि प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हिस्से का बेचान प्रतिवादी सं0 4 व 5 को कर दिया व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बेचान किये हिस्से पर ही प्रतिवादी सं0 4 व 5 आज मौके पर काबिज है। आराजी मात्र राजस्व रिकॉर्ड में वादी व हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है लेकिन मौके पर आराजी का बाहामी बंटवारा हो रहा है एवं बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त है तथा वादी के हिस्से आराजी में कभी काश्त कार्य में मजाहमत पैदा नहीं किया है वादी ने मिथ्या तथ्यों पर दावा दायर किया है तथा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है ना ही आराजी को खुर्द बुर्द किया जा रहा है वादी को वाद हेतु कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नहीं होती। सुविधा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस बहक अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थीगण आयद वो साबित है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीगण को पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है प्रार्थनापत्र काबिल खारीज है आदि–आदि अंकित करते हुये जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को मय हर्जा–खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रार्थनापत्र के बाबत वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के बाबत लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके मुताबिक विवादित आराजीयात सामलाती कब्जेकाश्त की आराजी रही है व राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ल0 3 के नाम का अंकन दर्ज हो रहा है लेकिन अप्रार्थी सं0 4 व 5 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अप्रार्थी बलवीर से खरीद की है जहां विक्रेता काबिज रहा उसी जगह पर क्रेता काबिज है तथा क्रेता अप्रार्थी सं0 4 व 5 के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है लेकिन वे रास्ते के साथ लगती हुई आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने को उतारू हो रहे हैं। आराजी पर मिनप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ल0 5 अपने–अपने हिस्सेनुसार सामलात में काबिज काश्त होने का अप्रार्थी सं0 4 व 5 ने बेजा फायदा उठाकर रोड के साथ वाली आराजी पर तारबंदी करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्से का तकासमा कराकर तकासमा अनुसार दखल पाने के अधिकारी है अंकित करते हुये बिना विभाजन कराये आराजी पर अजनवी क्रेता दखल नहीं पा सकता है इस हेतु माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा रामकिशन बनाम उगमा निर्णय दिनांक 20.05.2019 जिस निर्णय की नजीर 2018–2019 सप्लीमेंट आर.आर.टी पेज सं0 497 से 499 व अचलाराम बनाम बहराराम निर्णय दिनांक 29.07.2019 द्वारा धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा की नजीर 2018–2019 सप्लीमेंट आर. आर.टी पेज सं0 531 से 533 व सोहनलाल बनाम पैमाराम निर्णय दिनांक 16.12.2020 पारित किया है कि पक्षकारों का संयुक्त कब्जा वाद के निस्तारण तक संपत्ति को रक्षित करना न्यायसंगत है अंकित करते हुये नजीर संलग्न कर पेश करते हुये प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण आयद वो साबित है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है एवं वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब प्रार्थनापत्र को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सामलात की आराजीयात है तथा सामलात की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी पर प्रत्येक खातेदार को समान हक अधिकार होते हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। इसी बाबत प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के जिम्मन नं0 4 में भी स्पष्ट अंकन किया है कि सभी काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 5 आपस

में सहखातेदार है एवं जिम्मन सं0 3 में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 5 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी होना व आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ल0 3 के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा होना तथा अप्रार्थी सं0 4 व 5 ने आराजी खरीद की होना व जिनके नाम बैयनामा का इन्तकाल दर्ज नहीं होने के कारण आराजी विक्रेता के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है के अनुसार भी प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थीगण आयद वो साबित है अभिकथन करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को मय हर्जा–खर्चा खारीज किया जाकर पूर्व में जारी अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने का अभिकथन किया।

वकील प्रार्थी की लिखित बहस के अवलोकन किये जाने एवं वकील अप्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुने जाने के आधार पर अप्रार्थी सं0 4 व 5 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय किया जाना एवं मुताबिक प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र इन्तकाल दर्ज नहीं होने की स्थिति प्रथम दृष्टया प्रकरण बरखिलाफ प्रार्थीगण होकर बहक अप्रार्थीगण साबित पाया जाता है तथा जब प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक अप्रार्थीगण पाया जाता है तो सुविधा का संतुलन वाले बिन्दू को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रार्थीगण पाते हुये बहक अप्रार्थीगण साबित पाता है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन बरखिलाफ प्रार्थीगण पाये जाने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दू को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रार्थीगण पाते हुये बहक अप्रार्थीगण पाता है। सारतः प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय काबिल खारिज पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 921/0.40, 1140/0.28, 1889/922/0.01 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत की उक्त प्रार्थनापत्र धारा 212 राज काश्त0 अधि0 को खारीज किया जाता है एवं पूर्व दिनांक 27.07.2021 में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन आदेश निरस्त किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक **03.01.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

03-01-2023

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0